सं०सं०-EST-265/3/2021-SEC1-.....4200

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0,
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

सभी पदाधिकारी,
बिहार बाल विकास सेवा।
बिहार बाल संरक्षण सेवा।
बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा।
बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा।

E-mail

पटना, दिनांक-...29.7.2026

विषय :- **विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सौजन्यता, सौम्यता एवं शिष्टाचार प्रदर्शित करने हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग के अधीनस्थ कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सौजन्यता, सौम्यता एवं शिष्टाचार प्रदर्शित करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर पत्र निर्गत किये गये हैं, परंतु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि माननीय मंत्री कोषांग/विभाग के समक्ष आये मामलों तथा माननीय विधायक एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विभागीय मामले की जानकारी हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को विभागीय कोषांग/माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/माननीय विधायक द्वारा उनके सरकारी नम्बर पर फोन करने पर या तो सरकारी नम्बर बंद पाया जाता है या फोन रिसिव नहीं किया जाता है। यदि किसी पदाधिकारी द्वारा फोन रिसिव किया भी जाता है तो उनके द्वारा उचित प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है जो सर्वथा अनुचित एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अत: विभाग अंतर्गत सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी जाती है कि माननीय मंत्री कोषांग/विभागीय कार्यालय/माननीय विधायक द्वारा दूरभाष पर फोन किये जाने पर फोन का Response तुरंत देंगे। तत्समय किसी महत्वपूर्ण बैठक या अन्य विशिष्ट कार्य में व्यस्त रहने कि स्थिति में संबंधित को मैसेज प्रेषित करें। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि फोन से संबंधित से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर मामले की गंभीरता को देखते हुए वांछित सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

विदित हो कि फोन रिसिव / मैसेज नहीं करने अथवा उचित प्रक्रिया नहीं देने पर कर्तव्य से अनुपस्थित मानते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

28/7/26

अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :– EST-265/3/2021-SEC1-4200 पटना, दिनांक- 29.7.2026

प्रतिलिपि :- निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/ माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कलयाण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग/आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/26

अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग